पत्र संख्या– 10नि0 (बीमारी) 01/2020............................

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
(पशुपालन)

प्रेषक,

डॉ0 एन0 सरवण कुमार, भा0प्र0से0
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

विषय :– **पोल्ट्री मांस एवं अण्डों के उपयोग से कोरोना वायरस संक्रमण संबंधी भ्रान्तियों को दुर करने के संबंध में।**

प्रसंग :– **संयुक्त सचिव, भारत सरकार मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय पशुपालन एवं डेयरी विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली–110001 का अर्द्ध सरकारी पत्र संख्या–Q-11/1/2020-NLM-DADF दिनांक–05.03.2020**

महाशय, उपर्युक्त विषयक पशुपालन एवं डेयरी विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार का अर्द्ध सरकारी पत्र संख्या–Q-11/1/2020-NLM-DADF दिनांक–05.03.2020 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा सूचित किया गया है कि विभिन्न जनसंपर्क माध्यमों से पोल्ट्री मांस एवं अण्डों के सेवन से कोरोना वायरस के मनुष्यों में फैलने संबंधी भ्रांतियों के फलस्वरूप उपभोक्ताओं के साथ–साथ मुर्गीपालक किसानों एवं सहायक पोल्ट्री उद्योगों में आशंका का माहौल उत्पन्न हो गया है। पोल्ट्री मांस एवं अण्डों की ब्रिक्री पर पड़ रहे प्रतिकूल असर से लाखो मुर्गीपालक किसानों की आजीविका पर संकट उत्पन्न हो गया है एवं सहायक पोल्ट्री उद्योगों पर भी प्रतिकूल प्रभाव की आशंका है। सामान्य जन को पोल्ट्री मांस एवं अण्डों के सेवन से उपलब्ध होने वाले सुलभ प्रोटीन से उपभोक्ताओं को वंचित होना पड़ रहा है।

कोरोना वायरस संक्रमण से उत्पन्न वैश्विक एवं राष्ट्रीय परिदृश्य पर पशुपालन विभाग, भारत सरकार द्वारा सतत् निगरानी रखी जा रही है। इस संबंध में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (OIE) से प्राप्त जानकारी के आलोक में स्पष्ट किया गया है कि नोवेल कोरोना वायरस (2019–nCov) का संक्रमण मुख्य रूप से मनुष्यों से मनुष्य में होता है। पूर्व में विश्व में कहीं से भी कोरोना वायरस से संबंधित विभिन्न महामारियों एवं सामान्य जुकाम में पोल्ट्री अथवा पोल्ट्री उत्पादों की भूमिका की सूचना नहीं है। उक्त आलोक में स्पष्ट है कि पोल्ट्री मांस एवं अण्डों का सेवन पूर्णतः सुरक्षित है। अपितु कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव हेतु स्वच्छता एवं साफ–सफाई संबंधी सामान्य निदेशों का अनुपालन किया जाना चाहिए। इस संबंध में पूर्व में विभाग द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों में विज्ञापन किया जा चुका

है (प्रति संलग्न) निदेशक, पशुपालन द्वारा तथा सभी जिला पशुपालन पदाधिकारियों को निर्देशित करते हुए पत्र की प्रति आपको उपलब्ध करायी गयी है (प्रति संलग्न)।

अतः प्रासंगिक पत्र के आलोक में अनुरोध है कि अपने जिला/क्षेत्र अन्तर्गत सामान्य जन में इस रोग के प्रति जागरूकता फैलाने के साथ उपरोक्त वर्णित संदेश प्रचारित कराने की कार्रवाई की जाये तथा अपने अधीनस्थ सभी पदाधिकारियों/कर्मियों को भी इसकी जानकारी दी जाये। साथ–साथ अनुरोध है कि स्थानिय स्तर पर प्रेस कान्फ्रेंस के माध्यम से सभी प्रेस प्रतिनिधियों के बीच इस आशय की सूचना प्रसारित करने का कष्ट करें।

विश्वासभाजन

ह0/–

सरकार के सचिव,

ज्ञापांक–10 नि0 (बीमारी) 01/2020 ...179(नि)../ पटना–15, दिनांक–...18.03................/2020

प्रतिलिपि :– सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार, पटना/परियोजना निदेशक, बी. एल.डी.ए., पटना/सहायक निदेशक, सूचना एवं प्रसार, पशुपालन, बिहार, पटना/सभी क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, बिहार/महाप्रबंधक, केन्द्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र, पटना/सहायक निदेशक, कुक्कुट प्रक्षेत्र, बेला, मुजफ्फरपुर/भागलपुर/सभी विशेष उप निदेशक (प.वि.) वृहत पशु विकास परियोजना/सभी उप निदेशक (प. वि), मध्यम पशु विकास परियोजना/सभी सहायक निदेशक (प.वि.), वृहत पशु विकास परियोजना/लघु पशु विकास परियोजना/गोशाला विकास पदाधिकारी, बिहार पटना/चारा विकास पदाधिकारी, बिहार, पटना/सभी अवर प्रमंडल पशुपालन पदाधिकारी/सभी भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी/सभी प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रबंध निदेशक, कॉम्फेड, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्राचार्य, बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– विभागीय आई. टी. मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधितों को ई–मेल करने) हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेत

सरकार के सचिव,

डॉ. ओ.पी. चौधरी
Dr. O.P. Chaudhary

सत्यमेव जयते

संयुक्त सचिव
भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय
पशुपालन एवं डेयरी विभाग
कृषि भवन, नई दिल्ली–110001
Joint Secretary
Government of India
Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying
Department of Animal Husbandry and Dairying
Krishi Bhawan, New Delhi-110001

D.O. No. Q-11/1/2020-NLM-DADF

Dated, 5th March, 2020

Dear Colleagues,

It has come to the notice of this Department that messages are spreading through the social, print and electronic media stating that consumption of eggs and chicken meat may spread corona virus infection to the human being. This kind of message has created panic amongst the poultry farmers, industries and consumers. Because of this misleading information, the sale of eggs and chicken meat has drastically suffered and millions of poor farmers dependent on poultry farming are under threat of losing their livelihood.

Despite of poultry farmers those are directly involved in the poultry farming, there are millions of maize and soya farmers, medicines and vaccine manufacturers are also involved indirectly with the poultry sector. Hence, any kind panic related to poultry products consumption will destroy livelihood of the millions of people. The consumers will also be deprived from availability of cheap source of protein.

The Department of Animal Husbandry continuously is keeping vigil on the corona virus situation in the world and in the country. So far, it has been noticed that the predominant route of transmission of Novel Corona Virus (2019-nCov) appears to be human interaction. The virus is transmitted through human to human as per World Animal Health Organization (OIE). Poultry has not found to be involved in transmission of corona virus to human so far as any report globally. Similar viral outbreaks of corona virus in the past (SARS 2002-03, MERS 2012-13) or corona associated common cold had no involvement of poultry or poultry products world over. Thus the consumption of Indian poultry and poultry products including eggs is safe. A general hygiene, however, may be followed.

All the States are requested to make the people aware in the respective states in this regard and spread this message to build confidence amongst the consumers and farmers.

With regards,

Yours sincerely,

(Dr. O.P. Chaudhary) 5.3

a) All Additional Chief Secretary, Principal Secretary, Secretaries of Animal Husbandry of all the States/ UTs
b) Director, Animal Husbandry of Animal Husbandry of all the States/ UTs

Scanned with CamScanner

3/14/2020 95831862.webp (1271×1996)

नोवल कोरोना वायरस (COVID 19)

बिहार सरकार

भ्रांतियों से सावधान

मटन, चिकन, अण्डा और मछली खाने से कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं होता है!

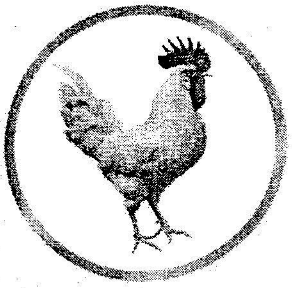

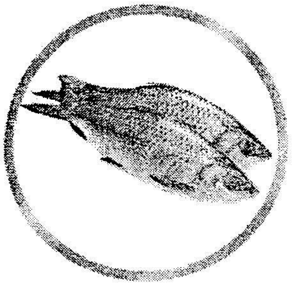
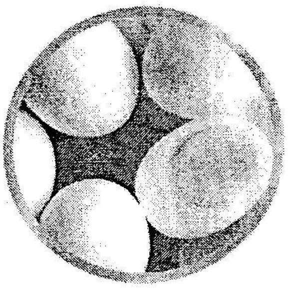

- मुर्गी, माँस, मछली एवं अण्डा खाने से कारोना वायरस संक्रमण का अबतक कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है।
- मुर्गी, मछली एवं अण्डा ना खाने से शरीर में प्रोटीन की अल्पता हो सकती है।
- कोई भी माँस खाने के पहले अच्छी तरह पका कर ही खायें।
- सोशल मीडिया में चलने वाले किसी भी फेक न्यूज के भूलावे में ना आयें।

क्या करें ✓

- अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता पर पूरा ध्यान दें।
- हाथ को साबुन से लगातार अच्छे से धोयें या हैण्ड सैनिटाईजर का प्रयोग करें।
- छींकने और खांसने के दौरान अपने मुँह को ढक लें।
- प्रयोग के तुरंत बाद टिशु को किसी बंद डिब्बे में फेंक दें।
- अस्वस्थ महसूस होने पर डॉक्टर से मिलें।

क्या ना करें ✗

- यदि आपको खाँसी और बुखार हो तो किसी के संपर्क में ना आयें।
- किसी भी सार्वजनिक स्थान पर ना थूकें।

PR No - 017303 (Animal)D. 2019-20

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, पशुपालन सूचना एवं प्रसार कार्यालय, बिहार द्वारा जनहित में प्रचारित

अवैध शराब एवं मादक द्रव्य के सम्बंध में शिकायत टॉल फ्री नं. 18003456268 या 15545 पर करें।

बिहार सरकार

पशुपालन निदेशालय, बिहार

हमारा बिहार

ई-मेल - dirahd-bih@nic.in वेबसाइट - ahd.bih.nic.in दूरभाष /फैक्स - 0612-2215962

पत्रांक - 10/नि0 (बीमारी) 01/2020-820 (नि)/ दिनांक - 06.03.2020

प्रेषक,

विनोद सिंह गुंजियाल, भा0प्र0से0,
निदेशक, पशुपालन।

सेवा में,

सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार।
सभी क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, बिहार।

विषय :- पोल्ट्री मांस एवं अण्डों के उपयोग से कोरोना वायरस संक्रमण संबंधी भ्रान्तियों के निर्मूलन के संबंध में।

प्रसंग : संयुक्त सचिव, भारत सरकार मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय पशुपालन एवं डेयरी विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001 का अर्द्ध सरकारी पत्र संख्या-Q-11/1/2020-NLM-DADF दिनांक-05.03.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक पशुपालन एवं डेयरी विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार का अर्द्ध सरकारी पत्र संख्या-Q-11/1/2020-NLM-DADF दिनांक-05.03.2020 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा सूचित किया गया है कि विभिन्न जनसंपर्क माध्यमों से पोल्ट्री मांस एवं अण्डों के सेवन से कोरोना वायरस के मनुष्यों में फैलने संबंधी भ्रांतियों के फलस्वरूप उपभोक्ताओं के साथ-साथ मुर्गीपालक किसानों एवं सहायक पोल्ट्री उद्योगों में आशंका का माहौल उत्पन्न हो गया है। पोल्ट्री मांस एवं अण्डों की ब्रिक्री पर पड़ रहे प्रतिकूल असर से लाखो मुर्गीपालक किसानों की आजीविका पर संकट उत्पन्न हो गया है एवं सहायक पोल्ट्री उद्योगों पर भी प्रतिकूल प्रभाव की आशंका है। सामान्य जन को पोल्ट्री मांस एवं अण्डों के सेवन से उपलब्ध होने वाले सुलभ प्रोटीन से उपभोक्ताओं को वंचित होना पड़ रहा है।

कोरोना वायरस संक्रमण से उत्पन्न वैश्विक एवं राष्ट्रीय परिदृश्य पर पशुपालन विभाग, भारत सरकार द्वारा सतत् निगरानी रखी जा रही है। इस संबंध में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (OIE) से प्राप्त जानकारी के आलोक में स्पष्ट किया गया है कि नोवेल कोरोना वायरस (2019-nCov) का संक्रमण मुख्य रूप से मनुष्यों से मनुष्य में होता है। पूर्व में विश्व में कहीं से भी कोरोना वायरस से संबंधित विभिन्न महामारियों एवं सामान्य जुकाम में पोल्ट्री अथवा पोल्ट्री उत्पादों की भूमिका की सूचना नहीं है। उक्त आलोक में स्पष्ट है कि पोल्ट्री मांस एवं अण्डों का सेवन पूर्णतः सुरक्षित है। अपितु कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव हेतु स्वच्छता एवं साफ-सफाई संबंधी सामान्य निदेशों का अनुपालन किया जाना चाहिए।

अतः प्रासंगिक पत्र के आलोक में निदेशित किया जाता है कि अपने जिला/क्षेत्र अन्तर्गत सामान्य जन में इस रोग के प्रति जागरूकता फैलाने के साथ-साथ उपरोक्त वर्णित संदेश प्रचारित कराने की कार्रवाई की जाये तथा अपने अधीनस्थ सभी पदाधिकारियों/कर्मियों को भी इसकी जानकारी दी जाये।

विश्वासभाजन

6/3/20

निदेशक, पशुपालन।

Scanned by CamScanner

ज्ञापांक–10 नि0 (बीमारी) 01/2020 -820 (नि)/ पटना–15, दिनांक–06/03/2020

प्रतिलिपि :– सभी/जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार, पटना/परियोजना निदेशक, बी. एल.डी.ए., पटना/सहायक निदेशक, सूचना एवं प्रसार, पशुपालन, बिहार, पटना/सभी क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, बिहार/महाप्रबंधक, केन्द्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र, पटना/सहायक निदेशक, कुक्कुट प्रक्षेत्र, बेला, मुजफ्फरपुर/भागलपुर/सभी विशेष उप निदेशक (प.वि.) वृहत पशु विकास परियोजना/सभी उप निदेशक (प. वि), मध्यम पशु विकास परियोजना/सभी सहायक निदेशक (प.वि.), वृहत पशु विकास परियोजना/लघु पशु विकास परियोजना/गोशाला विकास पदाधिकारी, बिहार पटना/चारा विकास पदाधिकारी, बिहार, पटना/सभी अवर प्रमंडल पशुपालन पदाधिकारी/सभी भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी/सभी प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रबंध निदेशक, कॉम्फेड, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्राचार्य, बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– विभागीय आई. टी. मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधितों को ई–मेल करने) हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/ सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/3/20

निदेशक, पशुपालन।

16
18/03/20

Scanned by CamScanner